आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–66 / 2023

30.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सुप्रीति कुजूर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Video conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले सुनवाई में आयोग को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी द्वारा यह बताया गया था कि उनके Account में दो इंट्री दर्ज है, जबकि शिकायतकर्ता ने पिछले सुनवाई में यह कहा था कि उनके बैंक Account में राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने पिछले सुनवाई में आयोग को यह कहा था कि शिकायतकर्ता अपने दोनों पासबुक को अपडेट करा लें। हो सकता है कि राशि ट्रांसफर कर दी गई हो। लेकिन आज की सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि उनके स्तर से सारी औपचारिकताएँ पूरी कर दी गई हैं। भुगतान राज्य स्तर से होता है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि लाभुक को भुगतान किया गया है या नहीं। स्वभाविक है कि पिछली सुनवाई और इस सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के तर्क विरोधाभाषी हैं। ऐसे में आयोग यह मान रहा है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आयोग को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि उनके द्वारा औपचारिकता पूरी करने के बावजूद राज्य स्तर से भुगतान नहीं किया गया है। आयोग लाभुक को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ नहीं मिलने को कतई बर्दास्त नहीं कर सकता।

ऐसे में आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे आकस्मिक निधि से लाभुक को वो राशि का भुगतान करें, जिस राशि के हकदार वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् हैं। आयोग के आज के आदेश का प्रमाण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अगली सुनवाई में नहीं पेश किया, तो आयोग उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत् विधिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।